न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 17 सन 2022

अनवान :–

1. मौसमी पत्नी बंजरगलाल जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री मांगीलाल देहडु अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय दिनांक :– 09/03/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 237/214 के खसरा न0 747 की 11.3060हैक भूमि में से 253/5653 हिस्सा भूमि की प्रार्थीया खातेदार काश्तकार है

प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण मौसम पत्नी बंजरगलाल दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का सही नाम मौसमी पत्नी बंजरगलाल है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड , राशनकार्ड आदि सभी में प्रार्थी का नाम मौसमी पत्नी बंजरगलाल दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 237/214 के खसरा न0 747 की 11.3060हैक भूमि में से 253/5653 हिस्सा भूमि में प्रार्थीया का नाम मौसम पत्नी बंजरगलाल के स्थान पर मौसमी पत्नी बंजरगलाल संशोधन करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 237/214 के खसरा न0 747 की 11.3060हैक भूमि में से 253/5653 हिस्सा भूमि की प्रार्थीया खातेदार काश्तकार है

प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण मौसम पत्नी बंजरगलाल दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का सही नाम मौसमी पत्नी बंजरगलाल है यही नाम अन्य

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड , राशनकार्ड आदि सभी में प्रार्थी का नाम मौसमी पत्नी बंजरगलाल दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थीया रोही मौजा सोनडी के ख़ाता संख्या 237/214 के खसरा न0 747 की 11.3060हैक्‍ भूमि में से 253/5653 हिस्सा भूमि खातेदार काश्तकार है जिसमें प्रार्थी का नाम मोसम पत्नी बंजरगलाल दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उसका सही नाम मौसमी पत्नी बंजरगलाल है यही नाम अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड राशन कार्ड अदि सभी में प्रार्थी का नाम मौसमी पत्नी बंजरगलाल दर्ज है प्रार्थी ने अपने नाम के सम्बध में स्वय का शपथ/दस्तावेजात /सरपंच ग्राम पंचायत की तस्दीक/तहसीलदार के द्वारा ऐतराज नही के आधार पर प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नही है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों /शपथ पत्र /एवं पेरोकार की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 237/214 के खसरा न0 747 की 11.3060हैक्‍ भूमि में से 253/5653 हिस्सा भूमि में प्रार्थीया का नाम मौसम पत्नी बजंरगलाल दर्ज है के स्थान पर मौसमी पत्नी बंजरगलाल संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 9/3/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नोहर

क्रमांक : राजस्व / रीडर / 2022 / 744 दिनांक :– 14/03/2022

तहसीलदार राजस्व

नोहर ।

विषय :– प्रकरण संख्या 17 / 2022 अनवानी मौसमी बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बध मे।

प्रंसग :– अनवान :–

1. मौसमी पत्नी बजरगलाल जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 17 / 2022 अनवानी मौसमी बनाम सरकार में दिनांक 09/03/2022 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 237 / 214 के खसरा न0 747 की 11.3060हैक भूमि में से 253 / 5653 हिस्सा भूमि में प्रार्थीया का नाम मौसम पत्नी बजंरगलाल दर्ज है के स्थान पर मौसमी पत्नी बंजरगलाल संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी

नोहर